पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0वि0-07/2020(अंश-I)-

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

फैक्स/ ई-मेल

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई-छपरा,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, छपरा।

पटना, दिनांक-

विषयः- ***Construction of Four laning of Bakarpur-Manikpur road section starting from village Chitarsenpur (km 0+000) and terminating at SH-74 near Manikpur (38+814) at NH-139W under Bharatmala Pariyojna on HAM mode in the state of Bihar परियोजना निर्माण हेतु सारण जिलान्तर्गत पहलेजा घाट के समीप गंगा नदी से सिल्ट निकालने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।***

प्रसंगः- ***आपका पत्रांक-NHAI/PIU-Chhapra/BMP/NH-139W/2026/310 दिनांक-02.03.2026***

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में सारण जिलान्तर्गत पहलेजा घाट के समीप गंगा नदी के चिन्हित स्थल से सिल्ट/गाद निकासी हेतु निम्नांकित शर्त्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. गंगा नदी के सीमा बिन्दु (a) Lat- 25°42'49.19"N, Long- 85°6'38.10"E (b) Lat- 25°42'38.37"N, Long- 85°6'30.18"E (c) Lat- 25°42'11.17"N, Long- 85°6'28.67"E (d) Lat- 25°42'10.94"N, Long- 85°6'31.31"E (e) Lat- 25°42'37.82"N, Long- 85°6'32.79"E (f) Lat- 25°42'49.19"N, Long- 85°6'35.38"E के बीच ही गाद निकासी की जाय।
2. जिस बिन्दु से गाद निकाला जायेगा वहाँ कम से कम LWL या उससे अधिक के Level (Bed Level) तक एक समान समतल रूप (Proper Section) में गाद निकालना आवश्यक होगा। LWL से अधिकतम 1.5 मीटर नीचे तक ही मिट्टी/गाद की निकासी की जा सकेगी।
3. गाद निकालने से पहले या बाद में नदी के मुख्य धारा को अवरूद्ध नहीं करना होगा।
4. गाद निकासी का कार्य बाढ़ अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा।
5. नदी में गाद उड़ाही के पूर्ण लम्बाई में Pre-Level लेकर Post-Level निर्धारित कराना आवश्यक होगा तथा इसका सत्यापन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कराना आवश्यक होगा।
6. गाद निकासी का कार्य 1:2 के स्लोप में करना होगा।
7. गाद निकासी के दौरान नदी में बनी संरचनाओं आदि में किसी प्रकार की क्षति न हो। क्षति होने पर इसकी जवाबदेही NHAI की होगी।
8. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जायेगा।
9. नदी की गाद निकासी अपस्ट्रीम से प्रारम्भ की जाएगी तथा बिना कोई गैप रखे निर्दिष्ट दूरी तक करायी जायेगी।
10. कार्य कराने से पूर्व स्थानीय विभागीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जायेगी एवं उनके तकनीकी देख-रेख में नदी की खुदाई की जायगी।
11. कार्य के दौरान नदी तट की सुरक्षा के निमित क्षेत्रीय अभियंताओं के अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उड़ाही में निकले मिट्टी/बालू का खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार को Royalty एवं Seigniorage Fee की राशि का भुगतान NHAI द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
13. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे किसी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटाने की जिम्मेवारी NHAI की होगी।
14. कार्य के दौरान नदी-तटबंध/संरचनाओं पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी NHAI की होगी। नदी से गाद निकासी कार्य के कारण तटबंध तरफ के नदी तट पर कटाव/तटबंध पर नदी का दबाव उत्पन्न होने की स्थिति में इसके सुरक्षात्मक कार्य की जिम्मेवारी NHAI की होगी।
15. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना NHAI द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को ससमय दिया जाएगा।
16. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों/जिला प्रशासन से यदि आवश्यकता हो तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त की जायेगी।
17. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा। विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयाधीन कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
18. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली-2019 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2024 तथा खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अन्य, परिपत्रों/अधिनियमों/संकल्पों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। उक्त संबंध में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई किया जाना होगा।
19. गाद निकासी का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना-S.O. 1223(E) दिनांक-17.03.2025 के परिशिष्ट-XIV में निर्धारित SOP (छाया-प्रति संलग्न) के अनुरूप संबंधित जिला की समिति की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता इसके अनुपालन से आश्वस्त होने के उपरांत ही गाद निकासी की अनुमति देगें।
20. NHAI द्वारा मिट्टी/गाद की निकासी हेतु निर्धारित स्थल पर कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण प्रभाग का ड्रोन फोटोग्राफ एवं विडियो जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता इनका संधारण कर पाक्षिक रूप से मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
21. NHAI द्वारा गाद निकासी के दौरान निकाले गए गाद की मात्रा से संबंधित सूचना जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को विहित प्रपत्र में पाक्षिक तौर पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा (विहित प्रपत्र संलग्न)। संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्संबंधी सूचना मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
22. उपर्युक्त शर्त्तों का अनुपालन नहीं होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

अनु0:-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना-S.O. 1223(E) दिनांक-17.03.2025
2. उपरोक्त कंडिका-21 में निहित विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0वि0-07/2020(अंश-I)- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः-यथावत्।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)

पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0वि0-07/2020(अंश-I)- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, गोपालगंज को उनके पत्रांक-1037 दिनांक-19.03.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः-यथावत्।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)

पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0वि0-07/2020(अंश-I)- 1894 पटना, दिनांक- 05-05-2026

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु0ः-यथावत्।

(ब्रजेश मोहन)